कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश का, समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर/ वाणिज्य कर को प्रेषित, पत्रांक - विधि-2-(1) विशेष आर्थिक जोन-179-(2008-2009)/725/1011027/ दिनांक : 06 जुलाई , 2010

शासन की विज्ञप्ति संख्या- क0नि0- 2- 2027/ग्यारह -9-(15)/08-उ0प्र0 अधि0-5-2008 -आदेश -(26) -2008, दिनांक 30-06-2008 द्वारा दिनांक 01-01-2008 से डोमेस्टिक टैरिफ एरिया (डी0टी0ए0) अथवा विशेष आर्थिक परिक्षेत्र (एस0ई0जेड0) के व्यापारी द्वारा विकास आयुक्त द्वारा प्राधिकृत "आपरेशन्स" हेतु विशेष आर्थिक परिक्षेत्रों के विकासकर्ता, सहविकासकर्ता तथा वहाँ स्थापित इकाईयों को बेचे गये माल के लिये, कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा विहित प्रारूप में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर मूल्य सवंर्धित कर से छूट प्रदान की गयी है। तदुपरान्त मुख्यालय के पत्र संख्या- वैट-(08-09) -विज्ञप्ति-357 दिनांक 03-07-2008 द्वारा इस विज्ञप्ति के प्राविधानों का क्रियान्वयन करने के लिये प्रमाण पत्र का प्रारूप "फार्म डी" निर्धारित किया गया था। पुनः मुख्यालय के पत्र संख्या- विधि-2-(1) विशेष आर्थिक जोन (08-09)/723/0910043/ दिनांक 26-08-2010 द्वारा यह निर्देश भी प्रसारित किये गये थे कि वर्क कान्ट्रैक्ट के निष्पादन में प्रयुक्त होने वाले माल के स्वामित्व का अन्तरण भी "डीम्ड सेल" की परिभाषा में आने के कारण ऐसी बिक्री भी उक्त विज्ञप्ति से आच्छादित होगी। तद्नुसार यदि वर्क कान्ट्रैक्ट का निष्पादन करने वाले किसी व्यापारी द्वारा उपरोक्त विज्ञप्ति की शर्तो के अनुरूप माल का अन्तरण किया जाता है तथा क्रेता व्यापारी से उक्त फार्म-डी प्राप्त करके प्रस्तुत किया जाता है तो उसे ऐसी बिक्री पर कर से छूट उपलब्ध होगी।

2- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त उ0प्र0 द्वारा उक्त संदर्भ में अपने अर्द्धशासकीय पत्र संख्या- 4084/ 77-3-09-7(एस0ई0जेड0)/09 दिनांक 16-12-2009 द्वारा सूचित किया गया है कि मुख्यालय के उक्त परिपत्र दिनांक 26-08-2009 में वर्क कान्ट्रैक्ट पर कर से छूट की स्थिति स्पष्ट न होने के कारण विकास आयुक्त, नोएडा, एस0ई0जेड0, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित दो बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है-

1. Developer/ Unit should be exempted from deduction of VAT at source of the works contract, which would be executed in the SEZ.
2. The contractors who are executing works in SEZ. should be exempted from paying WCT to the Trade Tax Deptt. of particular contract.

3. अतः उपर्युक्त संदर्भ में स्थिति पुनः निम्नवत् स्पष्ट की जाती है-

(1) मूल्य सवंर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-34(1) के अधीन शासन द्वारा विज्ञप्ति संख्या- क0 नि0- 2- 763/ ग्यारह - 9- (12)/08- उ0 प्र0 अधि0-5-2008-आदेश-(7)-2008 दिनांक 04-03-2008 में विज्ञप्ति में उल्लिखित विभिन्न श्रेणी के संविदियों द्वारा किसी वर्क कान्ट्रैक्ट के विरूद्ध संविदाकार को भुगतान करते समय सकल धनराशि के 4 प्रतिशत के बराबर स्रोत पर कर की कटौती किये जाने का प्राविधान है। साथ ही

अधिनियम की धारा-34 (4) में प्राविधान है कि कान्ट्रैक्टर उपयुक्त मामले में स्रोत पर कर की कोई कटौती न करने अथवा न्यूनतर दर से कटौती करने के लिए अपने कर निर्धारण अधिकारी को आवेदन कर सकता है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसे मामले में अधिनियम की धारा- 34 (5) के प्राविधानों के अन्तर्गत इस वर्क कान्ट्रैक्ट पर कर के भुगतान के दायित्व का परीक्षण करते हुये स्रोत पर कटौती न किये जाने का आदेश दिया जा सकता है।

यदि किसी कान्ट्रैक्टर द्वारा किसी विशेष आर्थिक परिक्षेत्र में कोई वर्क कान्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो ऐसे वर्क कान्ट्रैक्ट में निहित माल का अन्तरण पूर्वोक्त विज्ञप्ति दिनांक 30.06.2008 के अन्तर्गत नियत शर्तो के अधीन कर मुक्त होगा एवं ऐसे वर्क कान्ट्रैक्ट पर कोई कर देय नहीं होगा। तदुपरान्त यदि किसी कान्ट्रैक्टर द्वारा ऐसे किसी वर्क कान्ट्रैक्ट के लिये धारा- 34 (4) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसे वर्क कान्ट्रैक्ट के विरूद्ध स्रोत पर कर की कोई कटौती न किये जाने का आदेश दिया जा सकता है।

(2) जैसा कि पूर्व में जारी परिपत्र संख्या- 723 दिनांक 26.08.2009 द्वारा भी स्पष्ट किया जा चुका है, यदि किसी कान्ट्रैक्टर द्वारा विशेष आर्थिक परिक्षेत्रों के विकासकर्ता, सहविकासकर्ता अथवा इनमें स्थापित इकाईयों के लिये विशेष आर्थिक परिक्षेत्र में कोई वर्क कान्ट्रैक्ट किया जाता है एवं ऐसा वर्क कान्ट्रैक्ट विकास आयुक्त द्वारा प्राधिकृत "आपरेशन्स" के अन्तर्गत आता है तो कान्ट्रैक्टर द्वारा संविदी से फार्म-डी प्राप्त करके प्रस्तुत करने पर उसे इस वर्क कान्ट्रैक्ट के सम्बन्ध में कोई कर नहीं देना होगा।

4. परन्तु मुख्यालय के पत्र संख्या-वैट- (2008-2009)-विज्ञप्ति-357 दिनांक 03-07-2010 द्वारा निर्धारित फार्म-डी वर्क कान्ट्रैक्ट के परिपेक्ष्य में व्यवहारिक नहीं है। अतः उक्त प्रारूप डी में यथा आवश्यक संशोधन करते हुये वर्क कान्ट्रैक्ट के प्रकरणों हेतु एतद्द्वारा "फार्म डी-1" निर्धारित किया जाता है, जिसका प्रारूप इस पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है। फार्म डी-1 के रख रखाव, उनके जारी करने की प्रक्रिया तथा प्रयोग में लाये गये फार्म डी-1 का हिसाब रखने की प्रक्रिया निम्नवत् होगी -

(1) फार्म-डी-1 व्यापारी द्वारा क्रमांकित बाईण्डेड बुक में रखा जाएगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये क्रमांक 00001 से प्रारंभ होकर क्रमागत रहेगा।

(2) यह प्रमाण पत्र संविदी द्वारा तीन प्रतियों (मूल, द्वितीय एवं प्रतिपर्ण) में रखा जायेगा। मूल /द्वितीय प्रति संविदाकार को जारी किया जायेगा। प्रतिपर्ण संविदी द्वारा स्वयं अपने पास रखा जाएगा।

(3) मूल प्रति कर निर्धारक प्राधिकारी को वार्षिक नक्शा दाखिल करते समय भुगतान की सूची/ विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। द्वितीय प्रति संविदाकार द्वारा अपने पास रखी जाएगी।

(4) फार्म संविदी स्वयं ही ए-4 साईज में प्रिंट करवाएगा और एक बुकलेट पचास फार्म की होगी।

(5) फार्म डी-1 जारी करने से पूर्व कर निर्धारक प्राधिकारी से फार्म की मूल प्रति पर प्रतिहस्ताक्षर करवाना अनिवार्य होगा।

(6) कर निर्धारक प्राधिकारी फार्म डी-1 पर ई0 ई0 सीरीज का टिकट लगाकर प्रतिहस्ताक्षर करेगें।

(7) एक फार्म डी-1 में अधिकतम एक माह के संव्यवहार का इन्द्राज किया जा सकता है।

(8) फार्म डी-1 पर हस्ताक्षर केवल वही व्यक्ति करेंगे जिनका उल्लेख उ0प्र0 मूल्य सवंर्धित कर नियमावली, 2008 के नियम-32(6) में है अथवा टैक्स इनवाइस को अभिप्रमाणित करने के लिए अधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जाएगा।

(9) संविदी द्वारा प्रयोग किये गये फार्म डी-1 का विवरण एक निर्धारित प्रारूप डी-2 (संलग्न) में दो प्रतियों में रखा जायेगा जिसकी एक प्रति कर निर्धारक अधिकारी को फार्म डी-1 की अगली बुकलेटों पर प्रतिहस्ताक्षर कराने के पूर्व प्रस्तुत की जायेगी। तत्पश्चात् फार्म डी-1 पर कर निर्धारक प्राधिकारी हस्ताक्षर करेंगे एवं नाम व पदनाम की मोहर लगायेगें। संविदी द्वारा फार्म डी-2 में रखे गये उक्त विवरण की संविदी की प्रति पर भी कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अपनी मोहर लगाते हुये हस्ताक्षर किये जायेगें।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। परिपत्र की प्रतियां पर्याप्त मात्रा में कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों / व्यापारिक संगठनों को उपलब्ध कराने तथा व्यापक प्रचार- प्रसार कराना सुनिश्चित करें।